

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : प-2(ई.सी.205)/जविप्रा/जे.सी.(एस.एम.)/2016/डी- 515

दिनांक : 16.8.2016


जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 205वीं बैठक दिनांक 09.08.2016 का कार्यवाही विवरण

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
1.	205.1	कार्यकारी समिति की 204 वीं बैठक दिनांक 16.06.2016 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	कार्यकारी समिति की 204वीं बैठक दिनांक 16.06.2016 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।	
2.	205.2	कार्यकारी समिति की 204वीं बैठक दिनांक 16.06.2016 में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	कार्यकारी समिति की 204वीं बैठक दिनांक 16.06.2016 में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट सभी अधिकारियों से प्राप्त नहीं हुई है। जिन अधिकारियों द्वारा क्रियान्विति रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गई है, उन्हें आगामी 7 दिवस में क्रियान्विति रिपोर्ट प्रेषित किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए।	
3.	205.3	आवास गृह संख्या सी-577 योजना पालड़ीमीणा के नियमितीकरण के सम्बन्ध में।	विचार-विमर्श पश्चात आवास गृह संख्या सी-577, योजना पालड़ीमीणा के आवंटी द्वारा नजराना राशि दो वर्ष से अधिक अवधि तक जमा नहीं करवाए जाने के कारण डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण को राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु विस्तृत विवरण सहित प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-10ए

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
4.	205.4	मूण्डियारामसर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या जी-221 के नियमितीकरण के सम्बन्ध में।	विचार-विमर्श पश्चात भूखण्ड संख्या जी-221, मूण्डियासर आवासीय योजना के आवंटी द्वारा नजराना राशि दो वर्ष से अधिक अवधि तक जमा नहीं करवाए जाने के कारण डिस्पोज़ल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण को राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु विस्तृत विवरण सहित प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-12
5.	205.5	ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास के खसरा नं. 43के सेक्टर सडक समर्पण हेतु श्री विष्णु कुमार गुप्ता का हिस्सा 1/2 व श्री वेदप्रकाश महर्षि व श्री मुकेश यादव का हिस्सा 1/2 हिस्सों का सम्मिलित कर इकजाई व्यावसायिक भूखण्ड का आवंटन किये जाने बाबत।	जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 44 के अन्तर्गत निःशुल्क समर्पित भूमि के बदले रिहायशी एवं व्यावसायिक भूखण्ड आवंटित करने का प्रावधान है। प्रश्नगत प्रकरण में निःशुल्क समर्पित भूमि के बदले अलग-अलग स्थानों पर रिहायशी एवं व्यावसायिक भूखण्ड आवंटित किए गए हैं। अलग-अलग आवंटी द्वारा एक ही स्थान पर अलग-अलग व्यावसायिक भूखण्ड के स्थान पर एक ही स्थान पर एक व्यावसायिक भूखण्ड आवंटित करने का निवेदन किया गया है। यह एक नीतिगत निर्णय होने के कारण विचार-विमर्श पश्चात निम्न अधिकारीगण की एक कमेटी का गठन किया गया :- 1. विशेषाधिकारी (आर. एम.)	उपायुक्त जोन-8



सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			<p>2. वरिष्ठ नगर नियोजक (बी.पी.सी.-बी.पी.)</p> <p>3. उपायुक्त जोन-8 एवं</p> <p>4. उपायुक्त जोन-9</p> <p>कमेटी द्वारा अलग-अलग व्यक्तियों को अलग-अलग स्थान पर आवंटित व्यावसायिक भूखण्डों के बदले आवंटियों द्वारा केवल संयुक्त प्रार्थना-पत्र दिए जाने के आधार पर उन्हें अन्य स्थान पर एक बड़ा व्यावसायिक भूखण्ड आवंटित किया जा सकता है अथवा नहीं, इसके प्रशासनिक, वित्तीय, वैधानिक एवं तकनीकी पहलुओं पर विचार कर अपने सुझाव जयपुर विकास आयुक्त को प्रस्तुत किए जावेंगे।</p>	
6.	205.6	आवास संख्या सी- 431 योजना पालड़ीमीणा के नियमितीकरण के सम्बन्ध में।	विचार-विमर्श पश्चात आवास गृह संख्या सी-431, योजना पालड़ीमीणा के आवंटी द्वारा नजराना राशि दो वर्ष से अधिक अवधि तक जमा नहीं करवाए जाने के कारण डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण को राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु विस्तृत विवरण सहित प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-10ए
7.	205.7	मूण्डियारामसर आवासीय योजना में भूखण्ड सं. जी- 237 के नियमितीकरण के सम्बन्ध में।	विचार-विमर्श पश्चात भूखण्ड संख्या जी-237, मूण्डियारामसर आवासीय योजना के आवंटी द्वारा नजराना राशि दो वर्ष	उपायुक्त जोन-12


सचिव,

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			से अधिक अवधि तक जमा नहीं करवाए जाने के कारण डिस्पोजल ऑफ अरबन लैंड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण को राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु विस्तृत विवरण सहित प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	
8.	205.8	क्षेत्रीय प्रबन्धक, केन्द्रीय भण्डारण निगम, ए - 25 तिलक मार्ग को झालाना संस्थानिक क्षेत्र फेज- 3 जयपुर में आवंटित भूखण्ड क्षेत्रफल 660.54 व.मी. के पेटे नजराना राशि विलम्ब से जमा कराने के कारण ब्याज राशि माफ किये जाने बाबत।	एजेण्डा में दिए गए तथ्यों की सारगर्भिता पर विचार-विमर्श करने के पश्चात क्षेत्रीय प्रबन्धक, केन्द्रीय भण्डारण निगम को झालाना संस्थानिक क्षेत्र फेज- 3 जयपुर में आवंटित भूखण्ड क्षेत्रफल 660.54 व.मी. के पेटे नजराना राशि विलम्ब से जमा कराने के कारण ब्याज राशि जमा करने पर छूट प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त जोन-1
9.	205.9	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर आगार वैशाली नगर आगार व टायर प्लान्ट की कुल भूमि 21252.72 व.मी.का भू- उपयोग परिवर्तन कर नीलाम करने के सम्बन्ध में दिनांक 14.05.2016 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशित अधिसूचना के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्ति के निस्तारण बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर आगार वैशाली नगर आगार व टायर प्लान्ट की कुल भूमि 21252.72 व. मी. का भू- उपयोग Circulation से आवासीय उपयोग में परिवर्तन करने की स्वीकृति प्रदान की गई। भूमि का क्षेत्रफल 6000 वर्गमीटर से अधिक होने के कारण प्रकरण को समस्त तथ्यों के साथ स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को	उपायुक्त जोन-1


सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।	
10.	205.10	आवास गृह संख्या सी-409 योजना पालडीमीणा के नियमितीकरण के सम्बन्ध में।	विचार-विमर्श पश्चात आवास गृह संख्या सी-409, योजना पालडीमीणा के लिए देय राशि तथा ब्याज एवं शास्ति जमा करवाने की शर्त पर उक्त भूखण्ड का नियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	उपायुक्त जोन-10ए
11.	205.11	रामल्यावाला डेयरी फार्म योजना के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 299 (कॉर्नर) के नियमितीकरण के सम्बन्ध में।	विचार-विमर्श पश्चात रामल्यावाला डेयरी फार्म योजना के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 299 (कॉर्नर) के लिए देय राशि तथा ब्याज एवं शास्ति जमा करवाने की शर्त पर उक्त भूखण्ड का नियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	निदेशक (वित्त)
12.	205.12	आवास संख्या ए-166 योजना नारदपुरा के नियमितीकरण के सम्बन्ध में।	विचार-विमर्श पश्चात भूखण्ड संख्या ए-166, योजना नारदपुरा के आवंटी द्वारा नजराना राशि दो वर्ष से अधिक अवधि तक जमा नहीं करवाए जाने के कारण डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड	उपायुक्त जोन-10


सचिव,


क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण को राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु विस्तृत विवरण सहित प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	
13.	205.13	ग्राम महापुरा तहसील संगानेर जिला जयपुर के खसरा नम्बर 418/1 रकबा 0.48 हैक्ट., ख. नं. 419 रकबा 0.03 हैक्ट., ख. नं. 421 रकबा 0.02 हैक्ट., ख. नं. 423 रकबा 1.49 हैक्ट., ख. नं. 422 रकबा 0.23 हैक्ट., ख. नं. 428 रकबा 0.44 हैक्ट., ख. नं.426 रकबा 0.80 हैक्ट., किता 7 कुल रकबा 3.49 हैक्ट. अर्थात् 34900 वर्गमीटर में से 33153 वर्गमीटर भूमि का आवासीय से पर्यटन ईकाई यथा होटल हेतु व्यावसायिक भू-उपयोग परिवर्तन बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात ग्राम महापुरा तहसील संगानेर जिला जयपुर के खसरा नम्बर 418/1 रकबा 0.48 हैक्ट., ख. नं. 419 रकबा 0.03 हैक्ट., ख. नं. 421 रकबा 0.02 हैक्ट., ख. नं. 423 रकबा 1.49 हैक्ट., ख. नं. 422 रकबा 0.23 हैक्ट., ख. नं. 428 रकबा 0.44 हैक्ट., ख. नं.426 रकबा 0.80 हैक्ट., किता 7 कुल रकबा 3.49 हैक्ट. अर्थात् 34900 वर्गमीटर में से 33153 वर्गमीटर भूमि का राज्य सरकार तथा आवेदक के मध्य रिसर्जेंट राजस्थान के अन्तर्गत हुए मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टेण्डिंग के मद्देनजर आवासीय से पर्यटन ईकाई यथा होटल हेतु व्यावसायिक भू-उपयोग परिवर्तन किए जाने का निर्णय लिया गया। प्रश्नगत प्रकरण में भूमि का क्षेत्रफल 6000 वर्गमीटर से अधिक होने के कारण प्रकरण को समस्त तथ्यों के साथ राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया	उपायुक्त जोन-15


सचिव,

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			गया।	
14.	205.14	राजस्व ग्राम सांगानेर में स्थित खसरा नम्बर 1259 में स्थित भूखण्ड संख्या 74 का पट्टा जारी करने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात राजस्व ग्राम सांगानेर में स्थित भूखण्ड संख्या 74 के लिए देय राशि आवंटी द्वारा एक वर्ष पश्चात परन्तु दो वर्ष पूर्व जमा करवाए जाने के कारण उक्त भूखण्ड का नियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	उपायुक्त जोन-8
15.	205.15	आवास गृह संख्या सी-42 योजना पालड़ीमीणा के नियमितीकरण के सम्बन्ध में।	विचार-विमर्श आवास गृह संख्या सी-42 योजना पालड़ीमीणा के लिए देय राशि आवंटी द्वारा एक वर्ष पश्चात परन्तु दो वर्ष पूर्व जमा करवाए जाने के कारण उक्त भूखण्ड का नियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	उपायुक्त जोन-10ए
16.	205.16	आवास संख्या ए-451, विद्याधर नगर, जयपुर के सम्बन्ध में।	विचार-विमर्श पश्चात आवास संख्या ए-451, योजना विद्याधर नगर के आवंटी द्वारा नजराना राशि 11 वर्ष पश्चात जमा करवाए जाने के कारण डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स,	उपायुक्त जोन-2



क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण को राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु विस्तृत विवरण सहित प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	
17.	205.17	Agenda regarding approval of Tender for the work of "Construction of 200 feet wide sector road from Pipli Choraha to Mathurawala, Sector-58, JDA, Jaipur"	विचार-विमर्श पश्चात "Construction of 200 feet wide sector road from Pipli choraha to Mathurawala, Sector-58, JDA, Jaipur" के लिए न्यूनतम निविदादाता मैसर्स राकेश अग्रवाल के पक्ष में "G-Schedule based on PWD BSR 2013" पर 21.68% कम दर पर राशि रूपए 9,26,86,776.00 की निविदा को स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
18.	205.18	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को ग्राम रामचन्द्रपुरा की संस्थानिक योजना में 33/11 केवी सब स्टेशन हेतु 500 वर्ग मीटर भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।	उपायुक्त (जोन-9) ने यह अवगत कराया कि प्रकरण में जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा भूखण्ड के लिए देय राशि मय ब्याज एवं पेनल्टी जमा करवाए जाने की सहमति दी गई है। अतः इस आधार पर उक्त भूखण्ड का नियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैंड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	उपायुक्त जोन-9


सचिव,

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
19.	205.19	जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना स्वर्ण विहार के भूखण्ड संख्या 310 का पट्टा जारी करने बाबत्।	विचार-विमर्श पश्चात जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना स्वर्ण विहार के भूखण्ड संख्या 310 के आवंटी द्वारा नजराना राशि 33 माह पश्चात जमा करवाए जाने के कारण डिस्पोजल ऑफ अरबन लैंड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण को राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु विस्तृत विवरण सहित प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-8
अन्य बिन्दु आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTARY AGENDA)				
20.	205.20	रिंग रोड में अवाप्ति के मुआवजे में दी गई 25 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल की विलम्ब से जमा देय राशि की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत्।	विचार-विमर्श पश्चात रिंग रोड में अवाप्ति के मुआवजे में दिए गए भूखण्ड संख्या 11/ID/263, 11/OE/348, 11/OE/382, 11/OE/385 एवं 11/OE/225 का नियमितीकरण करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-11
21.	205.21	रिंग रोड में अवाप्ति के मुआवजे में दी गई 25 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल की विलम्ब से जमा देय राशि की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत्।	विचार-विमर्श पश्चात रिंग रोड में अवाप्ति के मुआवजे में दिए गए भूखण्ड संख्या 11/ID/89, 11/ID/250, एवं 11/OD/195 का नियमितीकरण करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-11



सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
22.	205.22	Agenda regarding Post facto approval of Tender for the work of "Construction of 60 Mtr. wide sector road (B.T.Work) in Swarn Vihar opp. Kiron Ki Dhani, JDA, Jaipur."	विचार-विमर्श पश्चात "Construction of 60 Mtr. wide sector road (B.T. Work) in Swarn Vihar opp. Kiron Ki Dhani, JDA, Jaipur." के लिए न्यूनतम निविदादाता मैसर्स गिठला कन्सट्रक्शन कम्पनी के पक्ष में "G-Schedule based on PWD BSR 2013" पर 19.92% कम दर पर राशि रूपए 4,63,74,067.00 की निविदा की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
23.	205.23	Approval of the tender against JDA NIB No. JDA/Ex. Eng. Elect.-II/25/2015-16- Provisioning & Integration of Wi-Fi Hotspots, Interactive Information Kiosks, Surveillance Cameras, Environmental Sensors, Smart lighting solution and Remote Kiosks along with Facility Management Services and thereafter placing LOI/ detailed Work Order amounting to Rs. 23.90 Crs. placed to the Lowest bidder M/s Sterlite Technologies.	विचार-विमर्श पश्चात "Provisioning & Integration of Wi-Fi Hotspots, Interactive Information Kiosks, Surveillance Cameras, Environmental Sensors, Smart lighting solution and Remote Kiosks along with Facility Management Services" के लिए एजेण्डा में उल्लेखित कायदेश तथा साथ ही प्रकरण में तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं किए जाने बाबत छूट की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
24.	205.24	Ex-post facto approval of EC regarding additional & part work carried out of shifting of electrical utilities on the Gopalpura bye-pass road (part work from Gurjar ki Thadi to Triveni Nagar mode) due to road widening work being done by civil wing of JDA, carried out under URENT and emergent situation, as additional work	विचार-विमर्श पश्चात एजेण्डा में प्रस्तावित कार्य के लिए प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)



सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी										
		amounting to Rs. 1,05,55,817.36 in the existing contract of" S/D of HT/LT lines by laying underground cables in Gopalpura bypass area in CD-I" with negotiated rate of 32.90% (as quoted as lowest rate by another bidder for the same remaining work of electrical utility shifting at Gopalpura bypass road, and as per consent given by the firm M/s M M Brothers vide letter dated 24.05.2016) as per the decision of the EC in its 202th Meeting held on dated 21.04.2016.												
25.	205.25	प्राधिकरण के वर्तमान उपायुक्त जोन -10, 10ए, 11, 12, 12ए, 12बी, 13, 13ए, 14, 14ए व 15, 16, 17, 18 व 19 के क्षेत्राधिकार का पुनर्गठन कर जोन 10, 11, 12, 13, 14, 15, पी.आर.एन. (उत्तर) व पी.आर.एन. (दक्षिण) बनाये जाने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात वर्तमान में प्राधिकरण में स्थित 24 जोन में से कुछ जोन-क्षेत्रों में नियमन/आवंटन सम्बन्धी कार्य कम हो जाने के कारण एजेण्डा में दिए गए प्रस्तावानुसार जोन -10, 10ए, 11, 12, 12ए, 12बी, 13, 13ए, 14, 14ए, 15, 16, 17, 18 व 19 के क्षेत्राधिकार का पुनर्गठन कर जोन 10, 11, 12, 13, 14, 15, पी.आर.एन. (उत्तर) व पी.आर.एन. (दक्षिण) निम्नानुसार बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई :- <table border="1" data-bbox="1209 1228 1792 1444"> <thead> <tr> <th>वर्तमान जोन</th> <th>नवगठित जोन</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 एवं 10ए</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>11 एवं 15</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>12, 12ए, 12बी</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>13 एवं 13ए</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table>	वर्तमान जोन	नवगठित जोन	10 एवं 10ए	10	11 एवं 15	11	12, 12ए, 12बी	12	13 एवं 13ए	13	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
वर्तमान जोन	नवगठित जोन													
10 एवं 10ए	10													
11 एवं 15	11													
12, 12ए, 12बी	12													
13 एवं 13ए	13													

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी						
			<table border="1"> <tr> <td>14 एवं 14ए</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>16 एवं 17</td> <td>पी.आर.एन.(उत्तर)</td> </tr> <tr> <td>18 एवं 19</td> <td>पी.आर.एन(दक्षिण)</td> </tr> </table> <p>साथ ही उपायुक्त (कोर्ट कैसेज) के पद को समाप्त करने एवं उपायुक्त (स्टोर) तथा उपायुक्त (वाहन) के दो पदों को पुनर्गठित कर एक पद यथा उपायुक्त (स्टोर एवं वाहन) किए जाने का निर्णय लिया गया।</p>	14 एवं 14ए	14	16 एवं 17	पी.आर.एन.(उत्तर)	18 एवं 19	पी.आर.एन(दक्षिण)	
14 एवं 14ए	14									
16 एवं 17	पी.आर.एन.(उत्तर)									
18 एवं 19	पी.आर.एन(दक्षिण)									
26.	205.26	श्री इन्द्रराज मीणा, संयुक्त रजिस्ट्रार-सहकारिता (प्रतिनियुक्ति पर) द्वारा प्राधिकरण से गैर अनुमोदित निजी अस्पताल में कराये गये इलाज की स्वीकृति एवं इलाज पर व्यय हुई राशि की पुनर्भरण की स्वीकृति बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात श्री इन्द्रराज मीणा, संयुक्त रजिस्ट्रार - सहकारिता द्वारा प्राधिकरण से गैर अनुमोदित अस्पताल (ई. एच. सी. सी. हॉस्पिटल, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर) में कराए गए इलाज पर व्यय हुई राशि में से एस. एम. एस. अस्पताल/अनुमोदित अस्पताल में इलाज कराने पर होने वाले व्यय के बराबर पुनर्भरण किए जाने का निर्णय लिया गया।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)						
27.	205.27	Regarding Post-facto approval of bid for the work "Restoration & rejuvenation of Kishan Bagh through single source procurement."	विचार-विमर्श पश्चात "Restoration & rejuvenation of Kishan Bagh through single source procurement." के लिए "Single source procurement method" के अन्तर्गत बिड डॉक्यूमेंट एवं नेगोसिएशन आमंत्रित करने तथा आमंत्रित किए जाने वाले बिड डॉक्यूमेंट एवं श्री प्रदीप कृष्ण के पक्ष में राशि रूपए 3,06,59,392.00	वन संरक्षक						

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर.

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			एवं सर्विस टैक्स की निविदा की बिना शर्त कार्यान्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।	
28.	205.28	जयपुर विकास प्राधिकरण में संवेदकों के नवीन पंजीकरण नियमों के अनुसार नवीन पंजीयन डिपोजिट राशि जमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात स्थायी संवेदकों को नवीन पंजीयन डिपोजिट (पूर्व जमा पंजीयन डिपोजिट एवं नवीन पंजीयन डिपोजिट के अन्तर की राशि) जमा कराने की अन्तिम तिथि 30.06.2016 से बढ़ाकर 30.09.2016 किए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि दिनांक 30.09.2016 के पश्चात तिथि आगे नहीं बढ़ाई जावेगी एवं इस अवधि तक राशि जमा न कराने वाले संवेदकों का पंजीकरण निरस्त कर दिया जावेगा।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
29.	205.29	Ex-post facto approval of EC regarding (i)approval of the tender against JDA NIB No. JDA/Ex. Eng. Elect.-II/18/2015-16- Provisioning of Wi-Fi Hotspots, Interactive Information Kiosks, Surveillance Cameras, Environmental Sensor, Parking Information system and Remote Kiosks along with Facility Management Services at selected locations in Jaipur City and thereafter placing LOI/ detailed Work Order amounting to Rs. 18.00 Crs. placed to the Lowest bidder M/s Larson &Toubro Ltd., Chennai (L&T Chennai) after due approval from JDC as EC Chairman; and (ii) also	विचार-विमर्श पश्चात " Provisioning of Wi-Fi Hotspots, Interactive Information Kiosks, Surveillance Cameras, Environmental Sensor, Parking Information system and Remote Kiosks along with Facility Management Services at selected locations in Jaipur City " के लिए एजेण्डा में उल्लेखित कायदेश की कार्यान्तर स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही प्रकरण में तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं किए जाने बाबत छूट प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण - जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		approval of waiver of issuance of JDA TS as detailed hereunder.		
30.	205.30	जविप्रा कर्मचारियों/अधिकारियों की आवासीय योजना टीलावाला के भूखण्ड संख्या ए-231 क्षेत्रफल 162 व.मी. के आवंटन बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना टीलावाला के भूखण्ड संख्या ए-231 के आवंटी द्वारा नजराना राशि 2 वर्ष से अधिक समय तक जमा नहीं करवाए जाने के कारण डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण को राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु विस्तृत विवरण सहित प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-9
31.	205.31	मूर्तिकला विहार योजना में भूखण्ड संख्या 1645, 600, 1060, 1565, 1198, 241, 1163 के नियमितीकरण के सम्बन्ध में।	विचार-विमर्श पश्चात मूर्तिकला विहार योजना के भूखण्ड संख्या 1645, 600, 1060, 1565, 1198, 241, 1163 के लिए देय राशि दो वर्ष से कम अवधि में जमा करवाने के कारण ब्याज एवं शास्ति जमा करवाने की शर्त पर उक्त भूखण्डों को उनके आवंटियों के पक्ष में नियमित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	उपायुक्त जोन-12बी
32.	205.32	ग्राम श्रीराम की नांगल, तहसील सांगानेर के ख.नं. 210, 212,	उक्त एजेण्डा नोट पर गहन विचार-विमर्श किया गया। उपायुक्त	उपायुक्त जोन-14


सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण


क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		<p>216, 217 की भूमि का उपान्तरण मास्टर विकास योजना -2025 में होटल यथा पर्यटक ईकाई (व्यावसायिक) करने बाबत।</p>	<p>(जोन-14) ने यह अवगत कराया कि संयुक्त निदेशक (निवेश), पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक एफ.9(148)होटल/पवि/2014-15/13702 दिनांक 03.08.2016 के द्वारा निम्न संशोधन जारी किए गए हैं :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रोजेक्ट अनुमोदन श्री नानग राम मीना के नाम से जारी किया गया था। अतः इनके स्थान पर श्रीमती भूनरी देवी एवं दो पुत्रों श्री राकेश मीना एवं श्री चन्द्र प्रकाश मीना संशोधित किया जाता है। 2. पूर्व में अनुमोदित खसरा संख्या 210, 216 एवं 217 की कुल 0.69 हैक्टेयर भूमि के स्थान पर खसरा संख्या 210, 212, 216 एवं 217 की कुल 0.87 हैक्टेयर संशोधित किया जाता है। <p>अतः खसरा संख्या 212 को भी होटल प्रोजेक्ट में सम्मिलित करने बाबत MOU में संशोधन कर दिया गया है।</p> <p>उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए विचार-विमर्श पश्चात उपरोक्त वर्णित भूमि का उपयोग राज्य सरकार तथा आवेदक के मध्य रिसर्जेंट राजस्थान के अन्तर्गत हुए मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टेण्डिंग दिनांक 16.11.2015 के मद्देनजर होटल यथा पर्यटक ईकाई</p>	


सचिव,

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			<p>(व्यावसायिक) किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्देश प्रदान किए गए कि सड़क क्षेत्र में आ रहे निर्माणों को हटाए जाने के पश्चात ही धारा 25(1) के अन्तर्गत अन्तिम अध्यादेश जारी किया जावेगा। यह भी निर्णय लिया गया कि इस भूमि की मोटल प्रयोजनार्थ जो 90बी की गई थी, उसे भी निरस्त करने की कार्रवाई की जावे।</p> <p>प्रश्नगत प्रकरण में भूमि का क्षेत्रफल 6000 वर्गमीटर से अधिक होने के कारण प्रकरण को समस्त तथ्यों के साथ राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किए जाने का भी निर्णय लिया गया।</p>	
33.	205.33	Approval of tender of Construction of 200 feet wide sector road from Muhana Road to Ring Road (Muhana bypass) Zone-11, JDA, Jaipur.	विचार-विमर्श पश्चात "Construction of 200 feet wide sector road from Muhana Road to Ring Road (Muhana bypass) Zone-11, JDA, Jaipur." कार्य के लिए निविदा का अनुमोदन 60 दिवस उपरान्त किए जाने के कारण राजस्थान लोक उपापन के पारदर्शिता अधिनियम, 2013 के तहत कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा के सम्बन्ध में न्यूनतम दरदाता मैसर्स हरदयाल कन्सट्रक्शन कम्पनी के पक्ष में "G-Schedule based on PWD BSR-2013" पर 20.21% कम दर पर राशि रूपए 7,68,34,983.00 की	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)



सचिव,

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			निविदा को स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।	
34.	205.34	अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) के कायाकल्प एवं विकास का कार्य।	विचार-विमर्श पश्चात अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) के कायाकल्प एवं विकास कार्य हेतु NCRPB (National Capital Region Planning Board) से रूपए 1098.00 करोड़ का ऋण प्राप्त किए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
35.	205.35	श्री हनुमान सहाय गुर्जर, मिस्त्री ग्रेड-द्वितीय द्वारा प्राधिकरण से गैर अनुमोदित निजी अस्पताल में कराये गये इलाज की स्वीकृति एवं इलाज पर व्यय हुई राशि की पुनर्भरण की स्वीकृति बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात श्री हनुमान सहाय गुर्जर, मिस्त्री ग्रेड-द्वितीय द्वारा प्राधिकरण से गैर अनुमोदित अस्पताल (सोनी मनिपाल हॉस्पिटल, सेक्टर-5, विद्याधर नगर, जयपुर) में कराए गए इलाज पर व्यय हुई राशि में से एस. एम. एस. अस्पताल/अनुमोदित अस्पताल में इलाज कराने पर होने वाले व्यय के बराबर पुनर्भरण किए जाने का निर्णय लिया गया।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
36.	205.36	Approval of Tender for the work: Rate Contract for Construction of Internal Bituminous Roads in Various Co-operative Schemes of Zone-17, JDA, Jaipur Phase-IV (Annual Rate Contract).	विचार-विमर्श पश्चात "Rate Contract for Construction of Internal Bituminous Roads in Various Co-operative Schemes of Zone-17, JDA, Jaipur Phase-IV (Annual Rate Contract)." कार्य के लिए निविदा का अनुमोदन 60 दिवस उपरान्त किए जाने के कारण तथा एकल निविदा होने के कारण राजस्थान लोक उपापन के पारदर्शिता अधिनियम, 2013 के	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)



सचिव,

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			तहत कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा में न्यूनतम दरदाता मैसर्स खुदाबक्श पठान के पक्ष में "G-Schedule based on PWD BSR-2013" पर 15.54% कम दर पर राशि रूपए 6,87,76,304.00 की निविदा को स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।	
37.	205.37	Agenda note regarding approval of change Tender condition for the work of "Construction of internal 9m wide roads upto GSB level in proposed JDA Residential scheme Dev Vihar , Village Devkishanpura, Chaksu in Zone-14 JDA, Jaipur."	विचार-विमर्श पश्चात उक्त कार्य के लिए एजेण्डा में अंकित प्रस्तावों को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
38.	205.38	approval of post facto permission of negotiation and now issuing counter offer for the work: Construction of internal roads in various societies in zone-16, PRN North, JDA, Jaipur (Phase-I) ARC	विचार-विमर्श पश्चात "Construction of internal roads in various societies in zone-16, PRN North, JDA, Jaipur (Phase-I) ARC." के लिए नेगोसिएशन आमंत्रित करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही उक्त कार्य के लिए काउण्टर ऑफर जारी करने तथा न्यूनतम दर दाता मैसर्स पारूल कन्सट्रक्शन के पक्ष में "G-Schedule based on PWD BSR-2013" पर 14.21% कम दर पर राशि रूपए 7,42,46,127.00 की निविदा की स्वीकृति एवं कायदेशि जारी करने की स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)


सचिव,

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			लिया गया।	
39.	205.39	Construction of Verandha and repair works in Central Spine corridors, Vidhyadhar Nagar, Zone 2, JDA, Jaipur (Smarti Sthal sector 10 to Sector 155.0 mtr road)	विचार-विमर्श पश्चात "Construction of Verandha and repair works in Central Spine corridors, Vidhyadhar Nagar, Zone 2, JDA, Jaipur (Smarti Sthal sector 10 to Sector 155.0 mtr road)." के लिए न्यूनतम दरदाता मैसर्स गुप्ता बिल्डर्स के पक्ष में "G-Schedule based on PWD BSR-2013" पर 21.66% कम दर पर राशि रूपए 2,68,50,234.00 की निविदा की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)

(पवन अरोड़ा)

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर